फर्द अहकाम

(नियम 15)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगढ़

सोनपाल बनाम धर्मवीर

किस्म मुकदमा दावा नं. 1819/15 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
23/5/19	आज यह पत्रावली समक्ष आपके आदेश अधिकारी आपके द्वारा जेष्ठ सिंचाई विभाग के पेश हुई पत्रावली आदि का अवलोकन किया, दावा बहसे का है। बहस हेतु दोनों ही पक्ष सहमत है। अतः मौके पर ही पत्रावली हल्का से फैसला गवाह तैयार करवाकर वाद बिन पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं हुई। अतः इस दावा मुताबिक फैसला गवाह डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक फैसला गवाह इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि वादी सोनपाल पुत्र पदमसिंह कौम बिश्नोई सा० देवधरा तहसील के हिस्से में आराजी ख० नं० 1219/1 उत्तर दिशा रकबा 05 बिस्वा स्थित ग्राम देवधरा का पूरा रहेगी तथा प्रतिवादीगण हरदेवसिंह, मातिबख्श पि० रामस्वरूप हि० 2/5, राधेश्याम सिंह सत्यवीर पि० रामधीलाल हि० 1/10, रामधीलाल पुत्र कन्हैयासिंह हि० 1/10, राधेलाल, शिवनारायण, लाखनसिंह, पि० हरगोविन्द हि० 1/10, रामसनेही पुत्र भरतसिंह हि० 1/20, रामकेशी पत्नी, पोखीराम, रामरूप प्रधान व प्रेमवती कमलेश प्रधान पि० रामअवतार हि० 1/20, ओमप्रकाश पुत्र घेरीलाल हि० 1/20 कौम बिश्नोई सा० देवधरा व गंगाधरन पुत्र कालिका प्रसाद हि० 3/20 कौम बिश्नोई सा० समाधान का पूरा तहसील आरैन के संयुक्त हिस्से में आ० ख० नं० 1219/2 दक्षिण दिशा रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा स्थित ग्राम देवधरा का पूरा की आराजी रहेगी, उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में लेटे कायम किये जावे। पत्रावली डिक्री नकल के नियमानुसार तामील पश्चात दोनों	

अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	पक्षकारों के मध्य सुलह होकर पत्र तसलीम दाखिल हुआ जो हुक्म सुनाया गया।	
	खण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	